

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक—

विषय— सारण जिलान्तर्गत पिपरहिया में खाता संख्या—66, प्लॉट संख्या—518, 519, 520, 521, थाना संख्या—217, थाना—इशुआपुर मसरख में मसरख—गौडा बाजार SH-90 पथ के किनारे HPCL का निर्माणाधीन रिटेल आउटलेट खोलने के लिए अनापत्ति प्रमाण—पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर निवेदन है कि HPCL द्वारा सारण जिलान्तर्गत पिपरहिया में खाता संख्या—66, प्लॉट संख्या—518, 519, 520, 521, थाना संख्या—217, थाना—इशुआपुर मसरख में मसरख—गौडा बाजार SH-90 पथ के किनारे HPCL का निर्माणाधीन रिटेल आउटलेट खोलने के लिए डीलरशीप प्रदान की गयी है, जिसके लिए वन विभाग की अनापत्ति प्रमाण—पत्र की आवश्यकता है। अनापत्ति प्रमाण—पत्र निर्गत करने हेतु सभी संबंधित कागजात संलग्न कर रहा हूँ।

अतः अनुरोध है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से अनापत्ति प्रमाण—पत्र निर्गत कराने की कृपा की जाय।

अनु०— प्रस्तावित रिटेल आउटलेट से
संबंधित सभी कागजात, नक्शा
सहित आठ प्रतियों में संलग्न।

विश्वासभाजन,

Abhimanyu Kumar

(अभिमन्यु कुमार)